राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम / डीएलबी / 16 / दिनांकः

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगरनिगम / परिषद / पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः– Rajasthan Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2016 के हिन्दी अनुवाद की प्रति भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत Rajasthan Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2016 के हिन्दी अनुवाद की प्रति संलग्न कर लेख है कि उक्त नियम 2016 के अनुसरण मे टाउन वेन्डिग कमेटी का गठन एवं अन्य अपेक्षित कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

उक्त नियम पूर्व मे अधिसूचना क्रमांक क्रमांकःप.8(ग) (15) नियम / डीएलबी / 15 / 1144 दिनांक 15.2.16 द्वारा जारी किये जा चुके है।

sd.
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम / डीएलबी / 16 / 5840-42 दिनांकः 10/06/16

प्रतिलिपिः–

01.परियोजना निदेशक निदेशालय को Rajasthan Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2016 के हिन्दी अनुवाद की प्रति संलग्न कर लेख है कि उक्त नियम 2016 के अनुसरण मे टाउन वेन्डिग कमेटी का गठन एवं अन्य अपेक्षित कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

02.अधीक्षक, केन्दीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।

03.मोडल अधिकारी,बेवसाइड,डीएलबी को उक्त नियम की प्रति संलग्न कर लेख है कि नियम को विभाग की बेवसाइड पर अपलोड करवाकर अवगत करावे।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D:\Davish\3.Letter.doc/shahzad/Documen

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

सं................................ दिनांक ....

अधिसूचना

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 7) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से ही प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.–

(क) "अधिनियम" से पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 7) अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(घ) "स्कीम" से अधिनियम की धारा 38 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विरचित स्कीम अभिप्रेत है;

(ङ) "नगर विक्रय समिति" से अधिनियम की धारा 22 के अधीन गठित निकाय अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में परिभाषित नहीं किये गये किन्तु प्रयुक्त किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट किया गया है।

3. नगर विक्रय समिति.– (1) राज्य सरकार, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी के लिए,–

(i) नियम 4 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार पथ विक्रेताओं की उनमें से सम्यक् रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों की; और

(ii) नियम 5 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा सम्यक् रूप से संक्षिप्ततः सूचीबद्ध और सिफारिश किये गये विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की;

सूची प्राप्त होते ही, नगर विक्रय समिति का गठन करेगी:

परन्तु जहां राज्य सरकार यह आवश्यक समझे, वह आदेश द्वारा, विभिन्न जोनों में स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्र को विभाजित करके एक से अधिक नगर विक्रय समिति के गठन के लिए उपबन्ध कर सकेगी या उन स्थानों पर जहां नगर निगम का स्थानीय क्षेत्र वृहद् और जनसंख्याबाहुल्य वाला है वहां वार्ड वार विक्रय समिति के लिए भी उपबन्ध कर सकेगी।

(2) किसी संपूर्ण नगर निगम के स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रत्येक नगर विक्रय समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(i)	आयुक्त, नगर निगम;	– अध्यक्ष
(ii)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट नगर निगम के तीन सदस्य;	– सदस्य
(iii)	नगर निगम का चिकित्सा अधिकारी;	– सदस्य
(iv)	नगर निगम में पदस्थापित उच्चतम रैंक का नगर नियोजन अधिकारी;	सदस्य
(v)	अतिरिक्त आयुक्त, पुलिस (यातायात)/ पुलिस अधीक्षक;	– सदस्य
(vi)	इन नियमों में अधिकथित रीति में पथ विक्रेताओं द्वारा उनमें से सम्यक् रूप से निर्वाचित पथ विक्रेताओं के दस प्रतिनिधि (जिनमें से तीन महिलाएं होंगी);	– सदस्य
(vii)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट मुख्य	– सदस्य

बाजार व्यापार संगम के दो प्रतिनिधि;

(viii) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट गैर–सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि; – सदस्य

(ix) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निवास कल्याण सोसाइटियों के दो प्रतिनिधि; -- सदस्य

(x) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट नगर के राष्ट्रीयकृत प्रमुख बैंक के प्रतिनिधि; और – सदस्य

(xi) नगर निगम का अतिरिक्त आयुक्त या उपायुक्त – सदस्य सचिव।

(3) जब राज्य सरकार सम्पूर्ण क्षेत्र, जो वृहद् और जनसंख्याबाहुल्य वाला है, के लिए एक नगर विक्रय समिति के स्थान पर किसी नगर के लिए एक से अधिक नगर विक्रय समिति का गठन करना उचित समझती है, तब ऐसी नगर विक्रय समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : –

(i) अतिरिक्त आयुक्त या उपायुक्त, नगर निगम; – अध्यक्ष

(ii) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले नगरपालिका के दो सदस्य; – सदस्य

(iii) जोन में पदस्थापित सहायक नगर नियोजक; – सदस्य

(iv) पुलिस उपायुक्त/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक; – सदस्य

(v) इन नियमों में अधिकथित रीति में पथ विक्रेताओं द्वारा सम्यक् रूप से निर्वाचित पथ विक्रेताओं के चार प्रतिनिधि (जिनमें एक महिला होगी); – सदस्य

(vi) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट बाजार व्यापार संगम के प्रतिनिधि; — सदस्य

(vii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निवासी कल्याण सोसाइटी के प्रतिनिधि; — सदस्य

(viii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि; और — सदस्य

(ix) नगर निगम का कोई अधिकारी — सदस्य सचिव।

(4) नगर परिषदों में नगर विक्रय समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :–

(i) आयुक्त, नगर परिषद्; — अध्यक्ष

(ii) नगर परिषद् के दो सदस्य; — सदस्य

(iii) वरिष्ठ नगर नियोजक या उसका नामनिर्देशिती; — सदस्य

(iv) पुलिस उप अधीक्षक या उसका नामनिर्देशिती जो स्थानीय क्षेत्र के थाने के भारसाधक अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो; — सदस्य

(v) इन नियमों में अधिकथित रीति में पथ विक्रेताओं द्वारा उनमें से सम्यक् रूप से निर्वाचित पथ विक्रेताओं के तीन प्रतिनिधि (जिनमें से एक महिला होगी); — सदस्य

(vi) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट मुख्य बाजार व्यापार संगम का एक प्रतिनिधि; — सदस्य

(vii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निवासी कल्याण सोसाइटी का — सदस्य

प्रतिनिधि; और

(viii) नगर परिषद् का कोई अधिकारी — सदस्य सचिव।

(5) नगरपालिक बोर्डों में नगर विक्रय समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

(i) कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिक बोर्ड; — अध्यक्ष

(ii) पुलिस उप-अधीक्षक या उसका प्रतिनिधि जो स्थानीय क्षेत्र के थाने के भारसाधक अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो; — सदस्य

(iii) इन नियमों में अधिकथित रीति में पथ विक्रेताओं द्वारा सम्यक् रूप से निर्वाचित पथ विक्रेताओं के तीन प्रतिनिधि (जिनमें से एक महिला होगी); — सदस्य

(iv) नगरपालिक बोर्ड के दो सदस्य; — सदस्य

(v) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट बाजार व्यापार संगम का एक प्रतिनिधि; — सदस्य

(vi) सफाई निरीक्षक, नगरपालिक बोर्ड; और — सदस्य

(vii) नगरपालिक बोर्ड का कोई अधिकारी/पदधारी — सदस्य सचिव।

(6) पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन में यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और निःशक्त व्यक्तियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो राज्य सरकार नगर विक्रय समिति में ऐसे प्रवर्गों में से एक अतिरिक्त सदस्य को नामनिर्दिष्ट करेगी।

(7) नगर विक्रय समिति की अवधि पांच वर्ष होगी और अधिनियम तथा इन नियमों के अनुसार नई समिति के गठन तक बनी रह सकेगी।

4. पथ विक्रेताओं में से नगर विक्रय समिति के सदस्यों का निर्वाचन.– (1) जहां स्थानीय प्राधिकारी कोई नगर निगम या नगर परिषद् है वहां कलक्टर आदेश द्वारा ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के स्थानीय क्षेत्र के लिए नगर विक्रय समिति में पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों की अपेक्षित संख्या में निर्वाचन के लिए जिला प्रशासन के किसी अधिकारी को, जो अतिरिक्त कलक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) जहां स्थानीय प्राधिकारी कोई नगरपालिक बोर्ड है वहां उप–खण्ड अधिकारी, आदेश द्वारा, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के स्थानीय क्षेत्र के लिए नगर विक्रय समिति में पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपेक्षित संख्या में सदस्यों के निर्वाचन के लिए उसके अधीन राजस्व प्रशासन के किसी अधिकारी को, जो तहसीलदार की पंक्ति से नीचे का न हो, निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी,–

(i) प्रथम अनुसूची में, जब स्थानीय प्राधिकारी के लिए नगर विक्रय समिति अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम बार गठित की जानी है; और

(ii) द्वितीय अनुसूची में, जब किसी स्थानीय प्राधिकारी के लिए नगर विक्रय समिति अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् द्वितीय या पश्चात्वर्ती समय के लिए गठित की जानी है,

उपबंधित रीति में स्थानीय प्राधिकारी की नगर विक्रय समिति के अपेक्षित सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन का संचालन करेगा।

(4) कोई पथ विक्रेता नगर विक्रय समिति के सदस्य के रूप निर्वाचित किये जाने के लिए निरर्हित होगा यदि,–

(i) वह ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है;

(ii) वह मानसिक रूप से और/या शारीरिक रूप से नगर विक्रय समिति के सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है।

5. नगर विक्रय समिति के सदस्यों के रूप में नामांकन के लिए व्यापार संगमों, स्थानीय कल्याण सोसाइटियों और गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधित्व का संक्षिप्ततः सूचीबद्ध किया जाना.– कलक्टर, अपनी अधिकारिता में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्र में व्यापार संगमों, कल्याणकारी सोसाइटियों, गैर–सरकारी संगठनों से प्रतिनिधियों के नाम मांगेगा और संबंधित निकायों द्वारा दिये गये नामों को संक्षिप्ततः सूचीबद्ध करने के पश्चात्, राज्य सरकार को नामों की सिफारिश करेगा।

6. नगर विक्रय समिति को कार्यालय के लिए स्थान और आवश्यक कर्मचारियों का आवंटन, नगर विक्रय समिति की कार्यालय प्रक्रिया को सम्मिलित करते हुए बैठक का समय और स्थान.– (1) स्थानीय प्राधिकारी, अधिनियम के अधीन नगर विक्रय समिति को अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए कार्यालय के लिए समुचित स्थान और ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, जो राज्य सरकार समय–समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे, उपलब्ध करवायेगा।

(2) नगर विक्रय समिति की बैठक का स्थान अधिमानतः स्थानीय प्राधिकारी का मुख्य कार्यालय होगा किन्तु नगर विक्रय समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किये गये किसी अन्य उपयुक्त स्थान भी हो सकेगा।

(3) नगर विक्रय समिति का सदस्य सचिव, उक्त समिति के अध्यक्ष के निदेशों के अनुसार नगर विक्रय समिति की साधारण बैठक बुलायेगा और अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित बैठक की कार्यसूची में अन्तर्विष्ट विषय बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व सदस्यों के बीच परिचालित किये जायेंगे और ऐसा नोटिस स्थानीय प्राधिकारी की अभिहित वेबसाइट पर भी रखा जायेगा।

(4) नगर विक्रय समिति की कुल संख्या का दो–तिहाई बैठक की गणपूर्ति करेगा। गणपूर्ति के अभाव में कोई बैठक विधिमान्य नहीं होगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित कर दी जायेगी और स्थगित बैठक के लिए कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी।

(5) नगर विक्रय समिति की बैठक में लिए गये समस्त विनिश्चय, बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिए जायेंगे। सदस्य सचिव द्वारा तैयार की गई बैठक की कार्यवाहियां अध्यक्ष द्वारा उसके हस्ताक्षर के अधीन अधिप्रमाणित की जायेंगी और पुष्टि के लिए नगर विक्रय समिति की आगामी बैठक में रखी जायेंगी।

(6) नगर विक्रय समिति के विनिश्चय, नगर विक्रय समिति के नोटिस बोर्ड पर लगाये जायेंगे और स्थानीय प्राधिकारी की वेबसाइट पर, जहां कहीं ऐसी वेबसाइट विद्यमान है, संप्रदर्शित किये जायेंगे।

(7)(i) जब पथ विक्रेताओं द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य, तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तब नगर विक्रय समिति का अध्यक्ष ऐसे सदस्य को उसकी अनुपस्थिति के कारण पूछते हुए पन्द्रह दिन का कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और जहां सदस्य अनुपस्थिति का समाधानप्रद कारण प्रस्तुत करता है, वहां उसकी सदस्यता जारी रहेगी किन्तु उस दशा में जहां दिया गया कारण समाधानप्रद नहीं है या सदस्य जवाब प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वहां नगर विक्रय समिति का अध्यक्ष, कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, ऐसे सदस्य की सदस्यता को समाप्त करने के लिए मामला राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा। राज्य सरकार उस पर समुचित आदेश पारित करेगी।

(ii) जब राज्य सरकार नगर विक्रय समिति से रिपोर्ट प्राप्त करती है कि कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य, कोई कारण समनुदेशित किये बिना, नगर विक्रय समिति की तीन लगातार बैठकों में उपस्थित होने में असफल रहा है, तब वह राज्य सरकार द्वारा हटा दिया जायेगा और उसी प्रवर्ग का नया व्यक्ति उसके स्थान पर नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(iii) सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नगर विक्रय समिति का कोई सदस्य हटाये जाने के दायित्वाधीन होगा।

(iv) कोई व्यक्ति सदस्यता से हटा दिया जायेगा यदि,–

(क) वह सिविल न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है;

(ख) वह पागल हो गया है और सरकारी मानसिक अस्पताल के अधीक्षक द्वारा ऐसा प्रमाणित कर दिया गया है; और

(ग) वह सदस्य के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो गया है।

(8)(i) नगर विक्रय समिति की बैठकें त्रैमासिक आयोजित की जायेंगी अर्थात् प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बैठक किन्तु अत्यावश्यक बैठक अध्यक्ष द्वारा चौबीस घण्टे की अल्प सूचना देकर किसी भी समय बुलाई जा सकेगी।

(ii) अत्यावश्यक बैठक भी बुलायी जा सकेगी, जब पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से आधे अशासकीय सदस्यों के कम से कम आधे द्वारा सम्यक् रूप से समर्थित ज्ञापन प्रस्तुत कर नगर विक्रय समिति के अध्यक्ष से ऐसा अनुरोध करें।

(iii) ऐसी अध्यपेक्षित अत्यावश्यक बैठक चौबीस घण्टे की अल्प सूचना तामील करके बहत्तर घण्टे के भीतर बुलायी जायेगी।

(9) प्रत्येक नगर विक्रय समिति की प्रथम बैठक उसके गठन की तारीख से तीस दिन के भीतर बुलायी जानी चाहिए।

(10)(i) नगर विक्रय समिति के विचार के लिए आने वाले किसी विवाद्यक के प्रभावी परीक्षण के प्रयोजन के लिए, वह किसी विनिर्दिष्ट विवाद्यक का परीक्षण करने के लिए एक या अधिक उप–समितियां बना सकेगी, ऐसी समिति नगर विक्रय समिति के सदस्यों के अतिरिक्त ऐसे अन्य विषय विशेषज्ञों से मिलकर बन सकेगी। ऐसी समितियों की रिपोर्ट सुझाव के रूप में नगर विक्रय समिति के समक्ष रखी जायेगी और उस पर केवल नगर विक्रय समिति का विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा।

(ii) जब नगर विक्रय समिति प्रथम बार गठित की जाती है, तब स्थानीय प्राधिकारी नगर विक्रय समिति के सदस्यों की सूचना के लिए, आवश्यक ब्यौरे देते हुए नगर/शहर में पथ विक्रय पर प्रास्थिति कागजपत्र परिचालित करेगा।

7. पथ विक्रेताओं का अभिलेख कैसे संधारित किया जाये.– (1) नगर विक्रय समिति अपने कार्यालय में अधिनियम और इन नियमों के अधीन उसके द्वारा संधारित किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त आवश्यक अभिलेख और साथ ही अपनी कम्प्यूटर प्रणाली में सम्यक् रूप से अद्यतन सॉफ्ट कापी भी संधारित करेगी।

(2) पथ विक्रेताओं को स्थान आवंटन करने से संबंधित समस्त अभिलेख कम से कम पाँच वर्ष तक और उससे आगे उनकी अनुज्ञप्तियों के चालू रहने तक की कालावधि तक और उन मामलों के ऐसी अतिरिक्त कालावधि तक, जहां किसी स्थान के संबंध में कोई मुकदमा लम्बित है, परिरक्षित रखे जायेंगे।

(3) पथ विक्रय के विद्यमान स्थल को दर्शित करने वाले नक्शों और सड़क योजनाओं को सम्मिलित करते हुए समस्त अभिलेख, नगर विक्रय समिति के स्थायी अभिलेख होंगे।

8. प्रमाण–पत्र की मंजूरी.– (1) अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन किये गये सर्वेक्षण के अधीन पहचान किये गये प्रत्येक पथ विक्रेता को, जो अट्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन और पथ विक्रय के लिए

योजना में विनिर्दिष्ट निर्बधनों को सम्मिलित करते हुए स्कीम में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नगर विक्रय समिति द्वारा विक्रय का प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा :

परन्तु कोई व्यक्ति, जो चाहे अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन किये गये सर्वेक्षण में सम्मिलित किया गया हो या नहीं, जिसे अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विक्रय का प्रमाणपत्र जारी किया गया है, चाहे उसे अनुज्ञप्ति के रूप मे या अनुज्ञा के किसी अन्य रूप में जाना जाये(चाहे स्थायी विक्रेता या चल विक्रेता या किसी अन्य प्रवर्ग के अधीन विक्रेता के रूप में) उसे उस कालावधि के लिए जिसके लिए उसे विक्रय हेतु ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा जारी की गयी थी, उस प्रवर्ग का पथ विक्रेता समझा जायेगा।

(2) जहां किन्हीं दो सर्वेक्षणों के बीच की मध्यवर्ती कालावधि में, कोई व्यक्ति विक्रय करना चाहता है, वहां नगर विक्रय समिति ऐसे व्यक्ति को स्कीम, पथ विक्रय के लिए योजना और विक्रय जोनों की धारण क्षमता के अध्यधीन रहते हुए, विक्रय प्रमाणपत्र मंजूर कर सकेगी।

(3) जहां उप–नियम (1) के अधीन पहचान किये गये पथ विक्रेताओं की संख्या या उप–नियम (2) के अधीन विक्रय करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या विक्रय जोन की धारण क्षमता से अधिक है और उस विक्रय जोन में स्थान–सुविधा दिये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक हैं, वहां नगर विक्रय समिति उस विक्रय जोन के लिए विक्रय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए लाट में से ड्रा निकालेगी और शेष व्यक्तियों को पार्श्व के अन्य विक्रय जोन में स्थान–सुविधा दी जायेगी :

परन्तु जहां पार्श्व के जोन में भी ऐसे अधिशेष विक्रेताओं को स्थान सुविधा दिया जाना सम्भव नहीं है, वहां वे किसी उपयुक्त जोन में नगर विक्रय समिति द्वारा समायोजित किये जा सकेंगे।

9. **वार्षिक विवरणियां.**– (1) नगर विक्रय समिति की वार्षिक विवरणियां वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तीन मास के भीतर प्रत्येक वर्ष तैयार की जायेंगी और अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् उन्हें अभिहित वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा और उसकी प्रति आयुक्त/स्थानीय प्राधिकारी के कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी जायेंगी।

(iii) ऐसी अध्यपेक्षित अत्यावश्यक बैठक चौबीस घण्टे की अल्प सूचना तामील करके बहत्तर घण्टे के भीतर बुलायी जायेगी।

(9) प्रत्येक नगर विक्रय समिति की प्रथम बैठक उसके गठन की तारीख से तीस दिन के भीतर बुलायी जानी चाहिए।

(10)(i) नगर विक्रय समिति के विचार के लिए आने वाले किसी विवाद्यक के प्रभावी परीक्षण के प्रयोजन के लिए, वह किसी विनिर्दिष्ट विवाद्यक का परीक्षण करने के लिए एक या अधिक उप–समितियां बना सकेगी, ऐसी समिति नगर विक्रय समिति के सदस्यों के अतिरिक्त ऐसे अन्य विषय विशेषज्ञों से मिलकर बन सकेगी। ऐसी समितियों की रिपोर्ट सुझाव के रूप में नगर विक्रय समिति के समक्ष रखी जायेगी और उस पर केवल नगर विक्रय समिति का विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा।

(ii) जब नगर विक्रय समिति प्रथम बार गठित की जाती है, तब स्थानीय प्राधिकारी नगर विक्रय समिति के सदस्यों की सूचना के लिए, आवश्यक ब्यौरे देते हुए नगर/शहर में पथ विक्रय पर प्रास्थिति कागजपत्र परिचालित करेगा।

7. पथ विक्रेताओं का अभिलेख कैसे संधारित किया जाये.– (1) नगर विक्रय समिति अपने कार्यालय में अधिनियम और इन नियमों के अधीन उसके द्वारा संधारित किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त आवश्यक अभिलेख और साथ ही अपनी कम्प्यूटर प्रणाली में सम्यक् रूप से अद्यतन सॉफ्ट कापी भी संधारित करेगी।

(2) पथ विक्रेताओं को स्थान आवंटन करने से संबंधित समस्त अभिलेख कम से कम पाँच वर्ष तक और उससे आगे उनकी अनुज्ञप्तियों के चालू रहने तक की कालावधि तक और उन मामलों के ऐसी अतिरिक्त कालावधि तक, जहां किसी स्थान के संबंध में कोई मुकदमा लम्बित है, परिरक्षित रखे जायेंगे।

(3) पथ विक्रय के विद्यमान स्थल को दर्शित करने वाले नक्शों और सड़क योजनाओं को सम्मिलित करते हुए समस्त अभिलेख, नगर विक्रय समिति के स्थायी अभिलेख होंगे।

8. प्रमाण–पत्र की मंजूरी.– (1) अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन किये गये सर्वेक्षण के अधीन पहचान किये गये प्रत्येक पथ विक्रेता को, जो अट्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन और पथ विक्रय के लिए

(2) वार्षिक विवरणी, जो उप–नियम (1) के अधीन तैयार की जायेगी, में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित के संबंध में सूचना अंतर्विष्ट होगी,–

(क) सर्वेक्षणों के ब्यौरे, यदि कोई हों;

(ख) प्राप्त, निपटाये गये, लम्बित, इन्कार किये गये आवेदनों की संख्या और पथ विक्रेताओं को जारी किये विक्रय प्रमाण–पत्र की संख्या;

(ग) विक्रय प्रमाणपत्र का निलंबन और प्रत्याहरण/रद्दकरण;

(घ) कालावधि के दौरान आयोजित नगर विक्रय समिति की बैठकों की संख्या;

(ङ) पहचान किये गये नये विक्रय जोन, यदि कोई हों, या पुराने विक्रय जोन यदि कोई धारण क्षमता में परिवर्तन के कारण परिवर्तित/उपांतरित किया गया है;

(च) रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं की संख्या जिनको विभिन्न विक्रय जोनों में स्थान–सुविधा दी गयी;

(छ) वर्ष के दौरान संचालित सामाजिक लेखापरीक्षा क्रियाकलाप, यदि कोई हो,

(ज) पथ विक्रेताओं के लिए वर्ष के दौरान नगर विक्रय समिति द्वारा आरंभ की गयी कल्याणकारी स्कीम, यदि कोई हो, (प्रस्ताव, यदि कोई हो, का वर्णन कीजिए जो पथ विक्रेताओं को उधार उपलब्ध करवाने के लिए या किसी जीवन बीमा स्कीम के अधीन लाने के लिए लाया गया हो)

(3) राज्य सरकार या, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी, समय–समय पर, नगर विक्रय समिति से ऐसे प्ररूप में, जैसा वह चाहे, अन्य विवरणियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

10. स्कीम के सारांश का प्रकाशन.– राज्य सरकार, संबंधित स्थानीय प्राधिकारी और नगर/शहर की नगर विक्रय समिति के साथ परामर्श करके स्कीम विरचित करेगी, जिसमें अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में उपबंधित समस्त या कोई मामले अन्तर्विष्ट हो सकेंगे

और उसे राजपत्र में अधिसूचित करेगी। स्कीम की अधिसूचना के पश्चात्, उसका सारांश संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा।

11. पथ विक्रेताओं का चार्टर, डाटाबेस और सामाजिक संपरीक्षा कराना.– (1) प्रत्येक नगर विक्रय समिति, पथ विक्रेता चार्टर को उसमें वह समय विनिर्दिष्ट करते हुए जिसके भीतर विक्रय प्रमाणपत्र पथ विक्रेताओं को जारी किये जायेंगे और वह समय भी जिसके भीतर उनका नवीकरण किया जायेगा, कम से कम दो स्थानीय समाचार–पत्र में प्रकाशित करायेगी।

(2) चार्टर पथ विक्रेताओं से संबंधित अन्य क्रियाकलापों की पालना के लिए समय–सीमा भी विनिर्दिष्ट करेगा।

(3) प्रत्येक नगर विक्रय समिति समस्त पथ विक्रेताओं का प्ररूप 'क' में रजिस्टर संधारित करेगी, जिनको विक्रय प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं।

(4) नगर विक्रय समिति, बाह्य परामर्शियों के सहयोग से आन्तरिक संपरीक्षकों के माध्यम से पथ विक्रेताओं की सामाजिक संपरीक्षा करवायेगी ताकि पथ विक्रेताओं की जीविका संरक्षण में प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुपालन के स्तर को अभिनिश्चित किया जा सके और यह भी निर्धारित किया जा सके कि प्रणाली के विनियमन से क्षेत्र के लोगों पर कौन–सा सामान्य प्रभाव हुआ है, और इस प्रकार अधिनियम के क्रियान्वयन पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

12. अध्यक्ष और सदस्यों को भत्ते.– नगर विक्रय समिति का अध्यक्ष और सदस्य, नगर विक्रय समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जैसे राज्य सरकार के अनुमोदन से स्थानीय प्राधिकारी के अध्यक्ष द्वारा अवधारित किये जायें और उस स्थानीय प्राधिकारी की निधि में से संदत्त किये जायेंगे जिसके पास पथ विक्रेताओं से प्राप्त अनुज्ञप्ति फीस और प्रभार जमा किये जाते हैं :

परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के मामले में भत्तों का केवल पचास प्रतिशत संदेय होगा।

13. अशासकीय सदस्यों और नगर विक्रय समिति या उसकी उप–समिति द्वारा सहयुक्त/आमंत्रित किसी व्यक्ति को संदत्त किये जाने वाले भत्ते.– नगर विक्रय समिति या उसकी उप–समिति द्वारा आमंत्रित किसी व्यक्ति को नगर विक्रय समिति के अध्यक्ष द्वारा नियत किया गया मानदेय संदत्त किया जायेगा और उस स्थानीय प्राधिकारी की निधि में से संदत्त किया जायेगा जिसके पास पथ विक्रेताओं से प्राप्त अनुज्ञप्ति फीस और प्रभार जमा किये जाते हैं।

14. नगर विक्रय समिति के कृत्य.– (1) नगर विक्रय समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :–

(i) विक्रय जोनों के बारे में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निकाली गई उनकी धारण क्षमता के साथ अंतिम विनिश्चय;

(ii) विक्रय प्रमाणपत्रों को जारी करना, विधारित करना, निलम्बित करना और रद्द करना;

(iii) अधिनियम के क्रियान्वयन पर सामाजिक संपरीक्षा आरम्भ करना;

(iv) नगर विक्रय समिति, विक्रय जोन विनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्राधिकारी से आधार सामग्री/डाटा मंगवायेगी। उप–विधियां और योजना, विक्रय जोनों की पहचान करेंगे। यदि नगर विक्रय समिति को जोन बनाने में या प्रत्येक व्यक्तिगत विक्रेता को आवंटित किये जाने वाले क्षेत्र के बारे में कोई बात कहनी है तो वह योजना और स्थानीय प्राधिकारी का ध्यान योजना के समुचित उपांतरण की ओर आकर्षित करेगी। प्राधिकरण की राय अभिप्राप्त करने के पश्चात्, नगर विक्रय समिति समुचित विनिश्चय ले सकेगी।

(v) स्थानीय प्राधिकारी की सिफारिश पर, नगर विक्रय समिति प्राकृतिक बाजार, साप्ताहिक बाजार, विरासत बाजार, त्यौहारी बाजार, मौसमी बाजार, रात्रि बाजार और नीचे बाजार उनके निश्चित स्थान के साथ घोषित कर सकेगी और मौसमी बाजार या त्यौहारी बाजार की दशा में क्षेत्र विनिर्दिष्ट करेगी; और

(vi) अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट अन्य कृत्य।

(2) विक्रय जोन के बारे में सिफारिशें करते और सुझाये गये परिवर्तनों के लिए नगर विक्रय समिति को संबंधित क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई, यातायात दबाव और पैदल संचलन पर भी विचार करना होगा।

(3) नगर विक्रय समिति के समस्त विनिश्चय नगर विक्रय समिति की कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित किये जायेंगे और मांगे जाने पर समस्त सम्बन्धितों को अधिप्रमाणित प्रतियां जारी की जायेंगी।

15. शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति.–

(1) राज्य सरकार, प्रत्येक खण्ड मुख्यालय पर निम्नलिखित से मिलकर बनाने वाली शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति गठित करेगी, अर्थात् :–

(i)	कोई व्यक्ति जो सिविल न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट रह चुका हो	– अध्यक्ष
(ii)	नगर निगम का सेवानिवृत्त उप–आयुक्त या नगर परिषद् का सेवानिवृत्त आयुक्त या खण्ड में, नगरपालिक बोर्ड का सेवानिवृत्त कार्यकारी अधिकारी; और	– सदस्य
(iii)	उसी क्षेत्र में पथ विक्रय को सम्मिलित करते हुए अधिमानतः अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला कोई विख्यात सामाजिक कार्यकर्त्ता :	– सदस्य

(2) शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की कालावधि का होगा, या ऐसे समय तक होगा जब तक सरकार नई समिति नियुक्त करती है;

परन्तु सेवानिवृत्त सिविल न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट और स्थानीय प्राधिकारी का सेवानिवृत्त अधिकारी, 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या अवधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, समिति का अध्यक्ष या, यथास्थिति, सदस्य बना नहीं रहेगा।

(3) शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति का अध्यक्ष और सदस्य ऐसे मानदेय या पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे, जैसे राज्य सरकार समय–समय पर आदेश द्वारा अवधारित करें।

(4) राज्य सरकार, कार्यभार पर विचार करते हुए, आदेश द्वारा यह अवधारित कर सकेगी कि किसी खण्ड की कौनसी शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति नियतकालिक रूप से बैठक कर सकेगी या कौनसी पूर्णकालिक आधार पर बैठक कर सकेगी।

16. आवेदन फाइल करने के लिए प्रक्रिया.– (1) अधिनियम के अधीन किसी मामले के लिए शिकायत रखने वाला कोई पथ विक्रेता, उन मामलों को छोड़कर जो अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट हैं, अपना नाम, निवास स्थान और शिकायत के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करते हुए या तो स्वयं या उससे संबद्ध संघ या संगम के माध्यम से, प्ररूप 'ख' में लिखित में, आवेदन फाइल कर सकेगा।

(2) आवेदन पथ विक्रेता द्वारा शिकायत कारित करने वाली किसी घटना के घटित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर फाइल किया जा सकेगा।

(3) शिकायत निपटान समिति, प्रथमतः अधिनियम के अधीन मामले की पोषणीयता अवधारित करने के लिए आवेदक की प्रारम्भिक सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगी और साथ ही यह भी देखेगी कि शिकायत का प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।

(4) प्रारम्भिक सुनवाई का परिणाम, सुनवाई की समाप्ति पर सुनाया जायेगा और लेखबद्ध किया जायेगा;

(5) शिकायत निपटान समिति, पथ विक्रेता द्वारा प्रार्थना की गयी अंतरिम राहत, यदि कोई हो, मंजूर या नामंजूर कर सकेगी और ऐसा किये जाने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे;

(6) उप–नियम (4) और (5) के अधीन किये गये आदेश की प्रति मांग किये जाने पर पथ विक्रेता को उपलब्ध करवायी जायेगी;

(7) जहां प्रथम दृष्टया कोई मामला बनना पाया जाता है, वहां पथ विक्रेता द्वारा उपवर्णित शिकायतो के संबंध में तीस दिन के भीतर लिखित जवाब फाइल करने के लिए संबंधित प्राधिकरण से अपेक्षा करने वाला नोटिस निकाला जायेगा और इस प्रकार फाइल किये गये लिखित जवाब की प्रति निःशुल्क पथ विक्रेता को दी जायेगी।

(8) पथ विक्रेता, यदि वह वांछा करे, लिखित जवाब की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन की कालावधि के भीतर उपर्युक्त लिखित जवाब का प्रत्युत्तर फाईल कर सकेगा और यदि कोई प्रत्युत्तर फाइल किया जाता है, तो उसकी एक प्रति संबंधित प्राधिकरण को दी जायेगी;

(9) समिति दोनों पक्षों की व्यक्तिगत सुनवाई करेगी और एक मास के भीतर, विनिश्चय लेने के कारणों के साथ लिखित में आदेश पारित करेगी।

17. अपील.– (1) विक्रय प्रमाणपत्र के जारी किये जाने या प्रमाणपत्र के रद्दकरण या निलम्बन से संबंधित नगर विक्रय समिति के किसी आदेश/विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, प्ररूप–ग में नगर विक्रय समिति के आदेश या विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के अध्यक्ष को अपील कर सकेगा।

(2) संबंधित स्थानीय प्राधिकारी का अध्यक्ष अपील फाइल किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील को निस्तारित करेगा और अपीलार्थी और साथ ही साथ नगर विक्रय समिति को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपील को या तो स्वीकार या अस्वीकार करते समय मौखिक आदेश सुनायेगा।

(3) कोई व्यक्ति जो शिकायत निपटान समिति के विनिश्चय से व्यथित है, शिकायत निपटान समिति के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, प्ररूप–घ में संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के अध्यक्ष को अपील कर सकेगा। शिकायत निपटान समिति के आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है की एक प्रति अपील के साथ संलग्न की जायेगी।

(4) अपील की प्राप्ति पर संबंधित स्थानीय प्राधिकारी का अध्यक्ष, सुनवाई की तारीख और समय सूचित करते हुए, पक्षकारों को नोटिस जारी करेगा।

(5) पक्षकार सुनवाई के लिए नियत की गयी तारीख, जो अपील फाइल किये जाने की तारीख से तीस दिन के पश्चात् की नहीं होगी, पर संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होंगे।

(6) स्थानीय प्राधिकारी का अध्यक्ष, दोनों पक्षकारों को अंतिम रूप से सुनने के पश्चात्, पैंतालीस दिन के भीतर अपना आदेश सुनायेगा।

प्रथम

अनुसूची

[नियम 4(3)(i) देखिए]

पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया

1. पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधियों के प्रथम निर्वाचन को संचालित करने के प्रयोजन के लिए, जब नगर विक्रय समिति अस्तित्व में न हो और स्थानीय प्राधिकारी के पास पथ विक्रेताओं का कोई अधिकृत रजिस्टर न हो, निर्वाचन अधिकारी स्थानीय प्राधिकारी के स्थानीय क्षेत्र में अस्तित्वमान पथ विक्रेताओं के संगम, यदि कोई हो, से उसके सदस्यों की अद्यतन सूची प्रदाय करने के लिए कहेगा। जहां कोई संगम नहीं हो, वहां निर्वाचन अधिकारी स्थानीय प्राधिकारी के माध्यम से पथ विक्रेताओं की सामान्य बैठक बुलायेगा और निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उन्हें सूचीबद्ध करेगा।
2. ऐसी सूची की प्राप्ति पर, ऐसे प्रथम निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए, निर्वाचन अधिकारी अपने नोटिस बोर्ड पर ऐसी सूची प्रकाशित करेगा और उसके द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख तक पथ विक्रेताओं के सदस्यों से आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल करने के लिए कहेगा। उसके द्वारा नियत या विनिर्दिष्ट तारीख तक प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के पश्चात्, वह पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए नगर विक्रय समिति के सदस्यों के रूप में बनाये जाने के लिए सूची को अंतिम घोषित कर सकेगा।
3. उपर्युक्त पैरा 2 पर इस प्रकार घोषित अंतिम सूची निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए निर्वाचक नामावली होगी।
4. निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन कराने के लिए समय, तारीख और स्थान नियत करेगा और नगर विक्रय समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उनके संगमों/संघों के माध्यम से निर्वाचक मंडलों को बुलायेगा। जब पथ विक्रेता नियत स्थान, तारीख और समय पर एकत्रित होते हैं, तब वह वहां उपस्थित पथ विक्रेताओं से उनके प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित किये जाने की अपेक्षा करेगा। खुली बैठक में प्रस्ताव और समर्थन के लिए

सामान्य प्रक्रिया को अपनाया जायेगा और जहां निर्वाचित किये जाने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित और समर्थित किये जाते हैं, वहां निर्वाचन अधिकारी अभ्यर्थियों को निर्वाचन लड़ने से हट जाने के लिए समय देगा और जब उस प्रक्रिया के द्वारा, और निर्वाचन लड़ने की अभ्यर्थिता वापस लेने के पश्चात्, अभ्यर्थियों की मात्र ऐसी संख्या शेष रहती है जो निर्वाचित किये जाने के लिए अपेक्षित हैं, वह तब और वहां उन्हें निर्वाचित घोषित कर सकेगा। यदि अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों से अधिक है, तो वह प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम वाली सम्यक् रूप से मुद्रित या टंकित मत पर्ची वितरित करेगा और निर्वाचकों से अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम के सामने मुहर लगाकर उनको गोपनीय मतदान में मत डालने के लिए कहेगा। जब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो डाले गये मतों की गणना निर्वाचन्न अधिकारी द्वारा लगाये गये मतदान कर्मचारियों के दल द्वारा की जायेगी। यह निर्वाचन अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा। जब डाले गये समस्त मत संगणित कर लिए जाते हैं और मतदाताओं की पसंद पता चल जाती है, तब प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या दर्शित करने वाली सूची अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी और अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किये जायेंगे और इस प्रभाव का प्रमाणपत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

5. कागज पत्रों की समस्त शीट्स जिन पर निर्वाचन की कार्यवाहियां की गयी थीं के साथ ही सदस्यों की सूची, जो उपस्थित हुए और जिन्होंने मतदान किया और मत पर्चियां निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिफाफे में सीलबंद की जायेंगी और कलक्टर के कार्यालय में जमा की जायेंगी और छह मास के लिए संरक्षित रखी जायेगी।

6. ऐसे निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर कलक्टर के समक्ष उठाया जा सकेगा। कलक्टर यथासंभव शीघ्र संक्षिप्त रीति में उसे विनिश्चित करेगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

द्वितीय

अनुसूची

[नियम 4(3)(ii) देखिये]

पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया

1. निर्वाचन अधिकारी, किसी स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्र में पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन का संचालन करेगा।

2. पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए राज्य सरकार के आशय को अभिव्यक्त करने वाली अधिसूचना के जारी होने के शीघ्र पश्चात् निर्वाचन अधिकारी निर्वाचनों के संचालन के लिए तारीख, समय और स्थान अवधारित करेगा, यदि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

3. निर्वाचन की सूचना, नगर विक्रय समिति की अधिकारिता के क्षेत्र में पथ विक्रय के व्यवसाय में लगे हुए पथ विक्रेताओं के बीच निम्नलिखित में से किसी एक ढंग द्वारा परिचालित की जायेगी, अर्थात् :–

   (क) हिन्दी भाषा में दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित लोक सूचना द्वारा;

   (ख) निर्वाचन अधिकारी के सूचना पट्ट पर चस्पा करके।

4. सूचना में निम्नलिखित के संबंध में जानकारी अंतर्विष्ट होगी;

   (i) प्रवर्गवार निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या;

   (ii) वह तारीख, जिसको स्थान जहां और घण्टे, जिसके बीच नामनिर्देशन पेपर फाइल किए जायेंगे, ऐसी तारीख निर्वाचन के लिए नियत तारीख से 7 स्पष्ट दिन से कम की नहीं होनी चाहिए या वह दिन सार्वजनिक अवकाश है तो अगला उत्तरवर्ती दिन, जो सार्वजनिक अवकाश नहीं है;

   स्पष्टीकरण– अभिव्यक्ति "सार्वजनिक अवकाश" से कोई ऐसा दिन, जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का केन्द्रीय अधिनियम 26) की धारा 25 के अधीन सार्वजनिक अवकाश है या कोई ऐसा दिन जिसे राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश के रूप में अधिसूचित किया गया है, अभिप्रेत है;

   (iii) नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए तारीख और समय; और

(iv) मतदान की तारीख, स्थान और समय।

5. स्थानीय प्राधिकारी नामनिर्देशन आमंत्रित करने की नियत तारीख से तीस दिन पूर्व नगर विक्रय समिति की अधिकारिता के क्षेत्र में पथ विक्रय के व्यवसाय में लगे हुए विद्यमान पथ विक्रेताओं की सूची तैयार करेगा, और उक्त सूची की प्रतियों को नगर विक्रय समिति के कार्यालय के सूचना पट्ट पर नामनिर्देशन आमंत्रित करने के लिए नियत तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व चस्पा करेगी। सूची में विक्रय का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक/प्रमाणपत्र का संख्यांक और पथ विक्रेता का नाम, पिता या यथास्थिति, पति का नाम और पथ विक्रेता का पता विनिर्दिष्ट होगा। यह नगर विक्रय समिति या, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि वह पथ विक्रेताओं का अद्यतन रजिस्टर और ऐसा अन्य रजिस्टर तैयार करे, जिसकी निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाये और ऐसे अभिलेखों, या रजिस्टरों को निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन के प्रयोजन के लिए नियत तारीख से तीस दिन पूर्व सुपुर्द करें। सूची की एक प्रति, नगर विक्रय समिति या स्थानीय प्राधिकारी या, यथास्थिति, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, किसी पथ विक्रेता को दी जायेगी।

6. निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन प्ररूप–ङ में किया जायेगा, जिसका प्रदाय निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी पथ विक्रेता को, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उसके लिए नियत किये गये लागत मूल्य पर किया जायेगा।

7. अभ्यर्थी अपने नामनिर्देशन पत्रों के साथ दो हजार रुपए का प्रतिभूति निक्षेप नकद या बैंक ड्राफ्ट या संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को संदेय पे–आर्डर के माध्यम से करेगा। यदि कोई अभ्यर्थी डाले गए मतों के 1/6 से कम मत प्राप्त करता है तो निक्षिप्त प्रतिभूति स्थानीय प्राधिकारी को समपहृत हो जायेगी।

8. प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं वैयक्तिक रूप से या उसके प्रस्तावक या समर्थक द्वारा निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। निर्वाचन अधिकारी नामनिर्देशन पत्र पर उसकी क्रम संख्यांक दर्ज करेगा और उस तारीख तथा समय को प्रमाणित करेगा जिस पर उसके द्वारा नामनिर्देशन प्राप्त किया गया है और तुरंत नामनिर्देशन पत्र की एक लिखित अभिस्वीकृत प्रदान करेगा जिस पर नगर विक्रय समिति और निर्वाचन अधिकारी की मुहर लगी होगी। कोई नामनिर्देशन पेपर, जो

उसके लिए नियत तारीख और समय को या उससे पूर्व प्राप्त नहीं होता है, को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

9.(i) नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्ति के पश्चात्, निर्वाचन अधिकारी नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा करेगा ;

(ii) निर्वाचन अधिकारी नामनिर्देशन पत्रों की जांच करेगा और आक्षेपों का, यदि कोई हो, विनिश्चय करेगा, जो किसी नामनिर्देशन की बाबत् किसी व्यक्ति द्वारा किये जाये और या तो ऐसे आक्षेपों पर या स्वप्रेरणा से और ऐसी संक्षिप्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा निर्वाचन अधिकारी आवश्यक समझे, किसी नामनिर्देशन को अस्वीकार कर सकेगा :

परंतु किसी अभ्यर्थी का नामनिर्देशन केवल उसके नाम या उसके प्रस्तावक या समर्थक के नाम, या अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या समर्थक, जैसा कि खण्ड 4 में निर्दिष्ट पथ विक्रेताओं की सूची में दर्ज है, संबंध में अन्य विशिष्टियों के गलत विवरण के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जायेगा, यदि, अभ्यर्थी, प्रस्तावक या, यथास्थिति, समर्थक की पहचान किसी युक्तियुक्त संदेह के परे स्थापित हो जाती है।

(iii) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या प्रस्तावक या समर्थक निर्वाचक नामावली अर्थात् पथ विक्रेताओं की सूची के प्रति निर्देश से नामनिर्देशन पत्रों का परीक्षण कर सकेंगे।

(iv) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र पर, उसे स्वीकार करने या, यथास्थिति, अस्वीकार करने के अपने विनिश्चय को पृष्ठांकित करेगा और यदि नामनिर्देशन पत्र अस्वीकार कर दिया जाता है तो वह ऐसे अस्वीकार करने के कारणों का एक संक्षिप्त कथन लेखबद्ध करेगा;

(v) निर्वाचन अधिकारी कार्यवाहियों का कोई स्थगन अनुज्ञात नहीं करेगा सिवाय जबकि ऐसी कार्यवाहियों को बलवा या दंगों या उसके नियंत्रण से परे कारणों से अवरोधित या बाधित न किया गया हो।

10. निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथा विनिश्चित विधिमान्य नामनिर्देशनों की सूची, अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार में नामों और नामनिर्देशन पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये पतों के साथ उसी दिन जिस दिन नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा पूर्ण होती है, नगर विक्रय समिति और निर्वाचन अधिकारी के सूचना पट्ट पर संप्रदर्शित/प्रकाशित की जायेगी।

11. कोई भी अभ्यर्थी उसके द्वारा नगर विक्रय समिति के निर्वाचन अधिकारी को उसके द्वारा हस्ताक्षरित और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित में सूचना द्वारा उसके नामनिर्देशन पत्र को प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी भी समय किन्तु उस अगले दिन के पूर्व जिसको विधिमान्य नामनिर्देशनों को प्रकाशित किया जाना है, पांच बजे अपराह्न तक अपनी अभ्यर्थिता को वापस ले सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा नाम वापस लेने की एक बार दी गई सूचना अप्रतिसंहरणीय होगी।

12. यदि उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनके नामनिर्देशन पत्रों को विधिमान्य घोषित किया गया है, निर्वाचित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक नहीं है तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे सभी अभ्यर्थियों के नामों की घोषणा करेगा और ऊपर्युक्त खण्ड 11 के अधीन अभ्यर्थिता वापिस लेने के दिन के अंतिम घंटे के पश्चात् उन्हें नगर विक्रय समिति में सम्यक रूप से निर्वाचित किया हुआ घोषित करेगा। यदि अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके नाम विधिमान्य हैं, निर्वाचित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक हैं तो निर्वाचन अधिकारी इस प्रयोजन के लिए नियत तारीख को निर्वाचन संचालित करने का प्रबंध करेगा। निर्वाचन अधिकारी निर्वाचनों के संचालन के लिए यथा आवश्यक एक या अधिक मतदान अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा। प्रयुक्त किये जाने वाला मतपत्र वैसा होगा जैसा प्ररूप–च में विहित है।

13. स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन अधिकारी को मतदान पेटियां, मतपत्र, पथ विक्रेताओं/मतदाताओं की सूची की प्रति और ऐसी अन्य वस्तुएं, जो निर्वाचनों का संचालन करने के लिए आवश्यक हों, उपलब्ध करायेगा। मत पेटियों का संनिर्माण इस प्रकार किया जायेगा कि मतपत्र उसमें डाले जा सकें किंतु मत पेटियों का ताला खोले बिना उसमें से निकाले नहीं जा सके। निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, जहां मतदान किया जा रहा है, मतदाताओं की पहचान करने और मतों के अभिलेखन को देखने के लिए, प्ररूप–ज में किसी अभिकर्ता को नियुक्त कर सकेगा। ऐसे प्ररूप में अभिकर्ता की सहमति अंतर्विष्ट होगी।

14. किसी व्यक्ति द्वारा उस स्थान पर, जहां निर्वाचनों का संचालन किया जा रहा है, मतों के लिए संयाचना करना प्रतिषिद्ध है।

15. मतदान प्रारंभ होने से तुरंत पूर्व, निर्वाचन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को, जो उस समय उपस्थित हों, खाली मतपेटियों को दिखायेगा और तब उन पर ताला लगा देगा तथा

अपनी मुहर चस्पा करेगा। अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता भी स्वयं अपनी मुहर चस्पा कर सकेगा यदि वह ऐसी वांछा करे।

16. प्रत्येक पथ विक्रेता/मतदाता, जो अपने मत देने के अधिकार का उपयोग करना चाहता है, को मतपत्र पर सुविधानुसार अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों को अंतर्विष्ट करने वाले मतपत्र की या तो मुद्रित, टाइप की हुई या फोटो प्रति दी जायेगी। मतपत्र पर नगर विक्रय समिति की भी मुहर होगी और उस पर निर्वाचन अधिकारी के अद्याक्षर भी होंगे, और उसमें मतदाता के लिए एक और स्तंभ होगा जिसमें वह उस व्यक्ति के नाम के आगे निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदाय की गयी रबर मुहर से [x] का चिह्न लगायेगा जिसे वह मत देना चाहता है।

17. प्रत्येक मतदान केन्द्र और जहां किसी केन्द्र पर एक से अधिक मतदान बूथ हैं, ऐसे प्रत्येक बूथ पर एक पृथक् कक्ष होगा जिसमें पथ विक्रेता/मतदाता गुप्त रूप से अपना मत अभिलिखित कर सकेंगे।

18. किसी पथ विक्रेता/मतदाता को तब तक कोई मतपत्र जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि निर्वाचन अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि संबंधित पथ विक्रेता/मतदाता वही व्यक्ति है, जो उसे प्रस्तुत की गई सूची में वर्णित किया गया है। ऐसे मतपत्र की प्राप्ति पर पथ विक्रेता/मतदाता इस प्रयोजन के लिए अलग रखे गए मतदान कक्ष की ओर अग्रसर होगा और अभ्यर्थी, या, यथास्थिति, अभ्यर्थियों के नाम के सामने मतदान अधिकारी द्वारा प्रदाय की गयी रबर की मुहर से [x] का चिह्न उपदर्शित करेगा, जिसके पक्ष में वह मत देना चाहता है और मतपत्र को इस प्रयोजन के लिए रखी गई मतपेटी में अत्यंत गोपनीयता के साथ डाल देगा। यदि अंधता या अन्य शारीरिक दुर्बलता या अशिक्षा के कारण पथ विक्रेता/मतदाता मतपत्र पर चिह्न लगाने में असमर्थ है तो मतदान अधिकारी और जहां ऐसा कोई मतदान अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है, वहां निर्वाचन अधिकारी उससे उस अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के बारे में अभिनिश्चिय करेगा, जिसके पक्ष में वह मत देने की वांछा रखता है, उसकी ओर से मतपत्र पर [x] का चिह्न लगायेगा और मतपत्र को मत पेटी में डाल देगा।

19. यदि मतदान के किसी प्रक्रम पर, कार्यवाहियों में किसी बलवा या दंगे के कारण व्यवधान या बाधा उत्पन्न होती है या किसी पर्याप्त कारण से ऐसे निर्वाचनों में

मतदान कराना संभव नहीं है, तो निर्वाचन अधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए अपने कारण लेखबद्ध करने के पश्चात्, मतदान रोकने की शक्ति होगी। निर्वाचन अधिकारी ऐसे मामले में निर्वाचन के लिए अन्य तारीख नियत करेगा।

20. मतदान के लिए नियत समय के पश्चात् किसी भी पथ विक्रेता/मतदाता को प्रवेश नहीं दिया जायेगा किन्तु कोई मतदाता, जो उस परिसर में जहां मतदान समय से पूर्व मतपत्र जारी किए जा रहे हैं वहां प्रविष्ट हो जाता है, उसे मतपत्र जारी किया जायेगा और मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

21. मतदान समाप्त होने के तुरंत पश्चात् मतों की गणना की जायेगी। यदि ऐसा करना संभव नहीं हो तो मत पेटियों को निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं, यदि वे ऐसी वांछा करें, की मुहर से सील कर दिया जायेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा के लिए स्थानीय प्राधिकारी के पास जमा करा दिया जायेगा, निर्वाचन अधिकारी तब मतगणना के लिए अगले दिन की घोषणा करेगा। मतों की गणना निर्वाचन अधिकारी द्वारा या उसके पर्यवेक्षण के अधीन की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी और उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को मतगणना के समय उपस्थित रहने का अधिकार होगा। किन्तु मतगणना के समय किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की अनुपस्थिति मतगणना और निर्वाचन अधिकारी द्वारा परिणामों की घोषणा को दूषित नहीं करेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये मत और निर्वाचनों का परिणाम, जैसे ही मतगणना समाप्त होती है, निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित किया जायेगा।

22. निर्वाचन अधिकारी, बिना किसी विलंब के, क़लक्टर/या, यथास्थिति, उप–खण्ड अधिकारी के माध्यम से, राज्य सरकार को पथ विक्रेताओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम भेजेगा।

23. समान मतों की दशा में, निर्वाचन अधिकारी सिक्का उछालकर निर्वाचन का परिणाम घोषित करेगा।

24. मतपत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा यदि,–

    (i) इसके ऊपर ऐसा कोई चिहन लगा हो जिससे पथ विक्रेता के मत की पहचान हो सकती है;

(ii) इस पर नगर विक्रय समिति की मुहर नहीं है या निर्वाचन अधिकारी के अद्याक्षर नहीं है;

(iii) मत को उपदर्शित करने वाला चिह्न उस पर ऐसी रीति में लगाया गया है जिससे यह संदेहास्पद हो गया है कि किस अभ्यर्थी को मत दिया गया है;

(iv) इस प्रकार नष्ट या विरूपित हो गया है कि एक असली मतपत्र के रूप में उसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है।

25. राज्य सरकार को पथ विक्रेताओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नामों को प्रेषित करने के पश्चात्, निर्वाचन का संपूर्ण परिणाम और उस पर एक रिपोर्ट, परिणाम की घोषणा के पश्चात् तीन दिन के भीतर, निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्थानीय प्राधिकारी के साथ ही राज्य सरकार को संसूचित की जायेगी।

26. निर्वाचन की रिपोर्ट प्रेषित करने के पश्चात्, निर्वाचन अधिकारी नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित मतपत्र और अभिलेख मुहरबंद लिफाफे में स्थानीय प्राधिकारी को सुपुर्द करेगा। ये छह मास की कालावधि के लिए स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुरक्षित रूप से परिरक्षित रखे जायेंगे।

27. ऐसे निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद परिणाम की घोषणा की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर कलक्टर के समक्ष उठाया जा सकेगा। कलक्टर शीघ्रातिशीघ्र समय पर संक्षिप्त रीति में उसे विनिश्चित करेगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

प्ररूप–क

[नियम 11 (3) देखिए]

रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं की सूची

क्र. सं. रजि. सं.	पथ विक्रेता का नाम, आयु और पिता/पति का नाम और पता	स्थायी या चल विक्रेता		पुरुष / महिला	प्रवर्ग सामान्य /अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व./ अल्पसंख्यंक /निःशक्तजन	कालावधि जिसके लिए प्रमाणपत्र विधिमान्य है	.... तक नवीकृत	अन्य जानकारी	अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर
		स्थायी विक्रेता की दशा में, स्थान के विवरण के साथ आवंटित स्टाल संख्या (कारबार की प्रकृति, विक्रय की जाने वाली वस्तुएं)	चल विक्रेता की दशा में, रीति और विक्रय किये जाने वाले वस्तुओं की प्रकृति के साथ संचालन का क्षेत्र						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्ररूप 'ख'

[नियम 16 (1) देखिए]

पथ विक्रेताओं की शिकायतों के निपटान या विवादों के समाधान के लिए शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति को आवेदन

1.	आवदेक का नाम और पता	:	
2.	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक / मामला संख्यांक / आईडी संख्यांक	:	
3.	विक्रय का स्थान – (अवस्थान, जोन, वार्ड आदि के पूर्ण ब्यौरे दीजिए)	:	
4.	विक्रय की प्रकृति (समुचित पर सही का निशान लगाएं)– (क) स्थायी (ख) चल (ग) कोई अन्य प्रवर्ग (यदि अन्य है तो प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट कीजिए)	:	(क) ☐ (ख) ☐ (ग) ☐
5.	विक्रय प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख (यदि जारी किया गया हो तो विक्रय प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न कीजिए)	:	
6.	शिकायत निपटान या विवाद के समाधान के आधार (पूरा ब्यौरा दीजिए और यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न कीजिए)	:	

आवेदक के हस्ताक्षर....................................

घोषणा

मैं.........................., आवेदक सत्यनिष्ठा से इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर किये गये कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर....................................

टिप्पण : कृपया आवेदन के साथ सभी सुसंगत दस्तावेज संलग्न कीजिए।

प्ररूप 'ग'

[नियम 17 (1) देखिए]

शिकायत निपटान और विवाद समाधान समिति के विनिश्चय के विरूद्ध स्थानीय प्राधिकारी को अपील

1.	आवदेक का नाम और पता	:	
2.	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक / मामला संख्यांक / आईडी संख्यांक	:	
3.	विक्रय का स्थान – (अवस्थान, जोन, वार्ड आदि के पूर्ण ब्यौरे दीजिए)	:	
4.	विक्रय की प्रकृति (समुचित पर सही का निशान लगाएं)– (क) स्थायी (ख) चल (ग) कोई अन्य प्रवर्ग (यदि अन्य है तो प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट कीजिए)	:	(क) ☐ (ख) ☐ (ग) ☐
5.	समिति का विनिश्चय देते हुए विवाद समाधान समिति के विनिश्चय की प्रति संलग्न करें– (क) विनिश्चय का संख्यांक; और (ख) विनिश्चय की तारीख	:	
6.	अपील के आधार (पूरा ब्यौरा दें और यदि अपेक्षित हों तो अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न करें)	:	

आवेदक के हस्ताक्षर....................................

घोषणा

मैं.........................., अपीलार्थी सत्यनिष्ठा से इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर किये गये कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर....................................

टिप्पण : कृपया अपील के साथ सभी सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें।

प्ररूप–घ

[नियम 17 (3) देखिए]

शिकायत निपटान समिति के विनिश्चय के विरूद्ध स्थानीय प्राधिकारी के अध्यक्ष को अपील

1.	आवदेक का नाम और पता	:	
2.	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक/मामला संख्यांक/ आईडी संख्यांक	:	
3.	विक्रय का स्थान – (अवस्थान, जोन, वार्ड आदि के पूर्ण ब्यौरे दीजिए)	:	
4.	विक्रय की प्रकृति (समुचित पर सही का निशान लगाएं)– (क) स्थायी (ख) चल (ग) कोई अन्य प्रवर्ग (यदि अन्य है तो प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कीजिए)	:	(क) ☐ (ख) ☐ (ग) ☐
5.	विक्रय प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख (यदि जारी किया गया हैं तो विक्रय प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न कीजिए)	:	
6.	शिकायत की प्रकृति	:	
7.	अपील के आधार (पूरा ब्यौरा दीजिए और यदि अपेक्षित है तो अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न कीजिए)		

आवेदक के हस्ताक्षर....................................

घोषणा

मैं............................, अपीलार्थी सत्यनिष्ठा से इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर किये गये कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

स्थान

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर....................................

टिप्पण : कृपया अपील के साथ सभी सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें।

प्ररूप–ङ

(द्वितीय अनुसूची का खण्ड 5 देखिएं)

[नियम 4]

नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन प्ररूप

सेवा में,

निर्वाचन अधिकारी

....

नगर विक्रय समिति

....

महोदय,

मैं.................................पत्नी / पुत्र / पुत्री श्री... नगर विक्रय समिति की अधिकारिता के क्षेत्र में विक्रय करने वाला पथ विक्रेता, जिसका विक्रय रजिस्ट्रीकरण / प्रमाणपत्र संख्यांक...............................है . श्री / श्रीमती / सुश्री................................ पत्नी / पुत्र / पुत्री.............................जो उक्त नगर विक्रय समिति का पथ विक्रेता है (जिनका विक्रय रजिस्ट्रीकरण / प्रमाणपत्र संख्यांक..................है) के नाम का उक्त समिति के सदस्य के पद के लिए तारीख.................................को आयोजित होने वाले निर्वाचन के लिए इसके द्वारा प्रस्ताव करता हूं।

प्रस्तावक का नाम और हस्ताक्षर.............................

विक्रय रजिस्ट्रीकरण / प्रमाणपत्र संख्यांक..................

मैं.............................पत्नी / पुत्र / पुत्री....................................श्री.............................. नगर विक्रय समिति.............................. का विक्रय रजिस्ट्रीकरण / प्रमाणपत्र संख्यांक..................धारक उपर्युक्त प्रस्ताव का इसके द्वारा समर्थन करता हूं।

समर्थनकर्ता का नाम और हस्ताक्षर.............................

विक्रय रजिस्ट्रीकरण / प्रमाणपत्र संख्या..................

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं.............................पत्नी / पुत्र / पुत्री....................................श्री.............................. नगर विक्रय समिति............................ का विक्रय रजिस्ट्रीकरण / प्रमाणपत्र संख्यांक..................धारक नगर विक्रय समिति...................... के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अपने नामनिर्देशन के लिए सहमति प्रदान करता हूं।

मैं यह और घोषणा करता हूं कि –

(i) मैं उक्त नगर विक्रय समिति का रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेता हूं;

(ii) मैं मत देने के लिए पात्र हूं;

(iii) मेरे प्रति, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2016 के उपबंधों के अधीन उक्त नगर विक्रय समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए कोई निर्रहता उपगत नहीं की है।

अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर.............................

विक्रय रजिस्ट्रीकरण / प्रमाणपत्र संख्यांक..................

(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

दिनांक...................को पूर्वाह्न / अपराह्न..................बजे नामनिर्देशन प्ररूप प्राप्त किया।

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर..................................

मुहर

अभिस्वीकृति

श्री / श्रीमती / सुश्री .... द्वारा प्रस्तुत................अभ्यर्थी / प्रस्तावक / समर्थक का नामनिर्देशन प्ररूप दिनांक............................को पूर्वाह्न / अपराह्न....................... को होने वाले निर्वाचन के लिए प्राप्त किया।

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर..................................

मुहर

प्ररूप–च

[द्वितीय अनुसूची का खण्ड 11 देखिए]

क्र. सं.......................

नगर विक्रय समिति के सदस्य के निर्वाचन के लिए मतपत्र

नगर विक्रय समिति के सदस्य के निर्वाचन के लिएं मतपत्र जिसका निर्वाचन पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2016 से संलग्न अनुसूची 2 के अधीन संचालित किया जाना है।

.... नगर विक्रय समिति

....

....(स्थानीय प्राधिकारी का नाम)

किसी एक अभ्यर्थी के सामने [X] का चिह्न लगाएं

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	विक्रय का रजिस्ट्रीकरण / प्रमाणपत्र संख्यांक	मत देने का चिह्न

....

(प्रतिपर्ण)

..................के पद के लिए मतपत्र

निर्वाचन की तारीख......................................

विक्रय रजिस्ट्रीकरण / प्रमाणपत्र की क्र. सं. ....

मतपत्र सं. ....

प्ररूप–छ
(द्वितीय अनुसूची का खण्ड 12 देखिए)
[नियम 4 देखिए]

मैं........................पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री..........................नगर विक्रय समिति .... की अधिकारिता के क्षेत्र में पथ विक्रय करने वाला पथ विक्रेता (विक्रय का रजिस्ट्रीकरण / प्रमाणपत्र सं.........................) उक्त समिति के सदस्य के लिए निर्वाचन लड़ रहा हूं, इसके द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को ....(तारीख विनिर्दिष्ट करें) को आयोजित होने वाले उक्त नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन में अपना निर्वाचन अभिकर्ता / गणना अभिकर्ता नामनिर्दिष्ट करता हूं :–

अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर.............................

विक्रय का रजिस्ट्रीकरण / प्रमाणपत्र सं......................

मैं.........................पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री.....................पता..................................... निर्वाचन अभिकर्ता / गणना अभिकर्ता बनने के लिए सहमत हूं।

अभिकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

राज्यपाल के आदेश से,

(पुरूषोत्तम बियानी)
संयुक्त शासन सचिव